वाणिज्य अ.ज.– 650

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.–II/2016–17/प्रे 4779 दि: 6-2-17

आदेश

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1.अविविनिलि/मु.अ.(वा.)/अ.अ.–I/एफ.57(F)/2009/प्रे.2636 दि. 24.08.09 (वाणिज्य आदेश–426)
2.अध्यक्ष डिस्कॉम/पत्रा( )/टीए/प्रे. 118 जयपुर दिनांक 26.02.2014
3.अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पीपीएम/पत्रां/प्रे. 258 दिनांक 06.11.2015

प्रदेश में विधुतीकृत गांवो व आबादी क्षेत्र एवं गैर आबादी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत घरेलु कनेक्शन जारी करने हेतु उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों द्वारा पूर्व में दिशा–निर्देश जारी किये गये है उक्त आदेशों को अधिक्रमित (Supersession) करते हुये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

1. विधुतीकृत गांव व ढाणी जहॉ ट्रांसफार्मर स्थापित है एवं घरेलु कनेक्शन जारी किये गये है, उन ट्रांसफार्मर के समीप गैर आबादी क्षेत्र में भी सर्विस लाईन द्वारा (अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक) कनेक्शन जारी किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुये आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. स्ववित्त व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत गैर आबादी क्षेत्र (चारागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूर्व में स्थापित है एवं उन ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित एल.टी. तंत्र के समीप घरेलु कनेक्शन की मांग को देखते हुये कनेक्शन जारी करने हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि सर्विस लाईन द्वारा (अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक) कनेक्शन जारी किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुये आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है।

सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अथवा ट्रांसफार्मर के तकनीकी रूप से असाध्य होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर सर्विस लाइन की निर्धारित सीमा तक घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निम्न मापदण्ड का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक अविविनिलि/मु.अ.(वा.)/अ.अ.–I/एफ.57(F)/2009/प्रे.2636 दि. 24.08.09 (वाणिज्य आदेश–426) के सन्दर्भ में विभिन्न क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों पर सामान्यतः अधिकतम कनेक्शनों की निर्धारित संख्या निम्नानुसार संशोधित की जाती है।

ट्रांसफार्मर की क्षमता	अधिकतम कनेक्शनों की संख्या
25 केवीए	25 Nos.
16 केवीए	16 Nos.
10 केवीए	10 Nos.
5 केवीए	5 Nos.

सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की क्षमता का निर्धारण मांग के अनुरूप उपरोक्त सारणी अनुसार सुनिश्चित किया जावें।
सम्बन्धित सहायक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक भार के कनेक्शन जारी नही किये जावें एवं नानत्व गुणांक (Diversity Factor) एक से अधिक नही होगा अर्थात् 5 केवीए के ट्रांसफार्मर पर अधिकतम 5 कि. वा. भार के कनेक्शन ही स्वीकृत किये जायेंगें। स्थापित विधुत तंत्र से सर्विस लाईन द्वारा कनेक्शन जारी किये जाने हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर में क्षमता ना होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जावेगी। नये कनेक्शन जारी करने हेतु एल.टी./एच. टी. तंत्र का विस्तार नही किया जावेगा।

अतिरिक्त नये घरेलु कनेक्शन देने के लिए किये जाने वाले कार्य/स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता अधिकृत होगें एवं भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने में होने वाली अनावश्यक देरी/ट्रांसफार्मर जलने के लिए भी जिम्मेदार होगें।

आज्ञा से

6/2/2017

(एन. एल. सालवी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर